न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 6/24
(जीसीएमएस संख्या 2024/21)

निर्णय दिनांकः– 25-11-2024

1. मोहम्मदीन पुत्र बुठ्ठा खां जाति मुसलमान निवासी चक 6 पीबी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 27–09–2023
उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

उपस्थितिः–
1. श्री करण सिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 27–09–2023 जिसके द्वारा अपीलांट की रिमाण्ड पत्रावली पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना वादग्रस्त अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 8 केजेडी बी के मुरब्बा नम्बर 83/12 तादादी 25 बीघा भूमि के बतौर विशेष आवंटन आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा विशेष आवंटन के गजट में प्रकाशित नहीं है। उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। जिस पर न्यायालय हाजा ने आदेश दिनांक 30–07–2013 द्वारा अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई थी कि अपीलांट से 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाकर रकबा बहाल किया जावे। अपीलीय न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय को स्पष्ट आदेश था कि यदि आवंटित रकबा अन्य को आवंटित नहीं हुआ हो तो 35 प्रतिशत राशि जमा करवाकर रकबा बहाल किया जावे।

परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित किये बिना अपीलांट को 10 वर्षों तक चक्कर कटवाये व 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई और दिनांक 27–09–2023 को आवेदित रकबा नगरपालिका क्षेत्र में होने का हवाला देकर अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया गया। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य है जिससे आवेदित रकबे का नगरपालिका क्षेत्र में होना जाहिर होता है। तहसीलदार खाजूवाला द्वारा अपने पत्र क्रमांक 329 दिनांक 27–02–2023 द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में शामिल होने वाले रकबे की सूची में भी आवेदित रकबा शामिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय इस रकबे को किसी अन्य को आवंटित करने की फिराक में है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर वादगत भूमि अपीलांट को आवंटित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के एवं सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट का आवेदन निरस्त किया है। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरएलडब्लयू 2005 पार्ट ।। (आरजे) पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलाधीन रकबा नगर पालिका परिक्षेत्र में स्थित होने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जो विधिसम्मत है। अपीलांट द्वारा वर्ष 2013 से वर्ष 2023 तक अपनी भूमि आवंटित करवाने का कोई प्रयास नहीं किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के निर्देशों की पालना नहीं की जा सकी। तहसीलदार खाजूवाला से प्राप्त मौका रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन रकबा नगर पालिका खाजूवाला में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय न्यायसंगत होने से अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—09—2023 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 27—12—2023 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके प्रतिउत्तर में राज्य पक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई काऊण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

प्रकरण में मियाद के संबंध में न्यायिक दृष्टांत डीएनजे (आरजे) 2014 गोविन्द सिंह बनाम रामविलाय आदि में अभिलिखित किया गया है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्वेश्य हासिल करने का होना चाहिए। जहॉ सारभूत न्याय तथा तकनीकी आधार में टकराहट हो, सारभूत न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिए। मियांद

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्वेश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। जहां एकतरफा आदेश पारित किया गया हो वहां मियांद अधिनियम बाधक नहीं होता है इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी यह स्पष्ट किया गया है– **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."**

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब के बजाए सारभूत न्याय प्रदान करने के तथ्य को दृष्टिगत् रखते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

7. प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 30–07–2013 द्वारा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला को स्पष्ट आदेशों के साथ में प्रतिप्रेषित किया गया था कि **" यदि आंवटित रकबा किसी अन्य को आवंटित नहीं हुआ हो तो 35 प्रतिशत राशि जमा करवा कर रकबा बहाल किया जावे"**। इसके उपरान्त भी अपीलांट से राशि जमा नही करवाई गई और 10 वर्ष पश्चात अपीलांट को बिना कोई नोटिस दिये इस आधार पर कि आवेदित रकबा नगर पालिका क्षेत्र में स्थित है आवेदन खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे कि उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला को आवेदित रकबे के नगर पालिका क्षेत्र में होने का ज्ञान हो। तहसीलदार खाजूवाला द्वारा अपने पत्रांक 329 दिनांक 27–02–2023 द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित नगर पालिका खाजूवाला को हस्तांतरित भूमियों की सूची में भी अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा शामिल नहीं है। इस न्यायालय को तहसीलदार खाजूवाला से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 14–08–2024 में अपीलाधीन भूमि का अराजीराज दर्ज होना, किसी को आवंटन नहीं होना व नगर पालिका क्षेत्र में स्थित होना बताया गया है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट दिनांक 05–07–2024 में अपीलाधीन रकबा नगर पालिका खाजूवाला के नाम दर्ज रिकोर्ड होना नहीं बताया गया है।

8. तहसीलदार द्वारा नगर पालिका खाजूवाला को हस्तांतरित भूमि की सूची में अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा शामिल नहीं है जबकि तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 14–08–2024 में इसे नगर पालिका क्षेत्र में स्थित होना बताया गया है। दोनों रिपोर्ट परस्पर विरोधाभाषी है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला प्रकरण में स्पष्ट जांच करें कि ''क्या अपीलाधीन रकबा चक 8 केजेडी बी के मुरब्बा नम्बर 83/12 किला नम्बर 1 ता 25 की भूमि नगर पालिका खाजूवाला को हस्तांतरित की जा चुकी है अथवा नहीं''? ''क्या अपीलाधीन भूमि के आवंटन में कोई विधिक बाधा है''? उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए इन बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए पुनः नियमानुसार आदेश पारित करे। तब तक अपीलाधीन अराजी किसी अन्य व्यक्ति को आंवटित ना की जावे''। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25-11-2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर